

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 22.01.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,
बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़,
जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, नागौर, राजसमन्द, सीकर, उदयपुर

विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 06 से 10) बजट आवंटन।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग के पत्र क्रमांक-एफ.1(14)शिक्षा-1
/2004/पार्ट II जयपुर, दिनांक 06.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 06 से 10) के 2018-19 के शेष रहे विद्यार्थियों को बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को लेखामद 2202-02-107-07-00-13 केन्द्रीय सहायता मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	योग	
			संख्या	राशि (रुपयों में)
1	BANSWARA	21127	500	500000
2	BHILWARA	17971	1000	1000000
3	CHITTORGARH	21402	340	340000
4	DAUSA	8914	100	100000
5	DHAULPUR	7576	200	200000
6	HANUMANGARH	3282	500	500000
7	JAIPUR	10196	1000	1000000
8	JHALAWAR	22087	500	500000
9	KARAULI	8055	200	200000
10	KOTA	21597	500	500000
11	NAGOUR	12261	1000	1000000
12	RAJSAMAND	18401	500	500000
13	SIKAR	11216	1000	1000000
14	UDAIPUR	20688	1000	1000000
TOTAL			8340	8340000

(अखरे रूपये तैरासी लाख चालिस हजार मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. राशि का आवंटन वर्तमान एवं पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के शेष रहे विद्यार्थियों एवं 2019-20 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।

केन्द्रांश मद की राशि का उपयोग करने के पश्चात् राज्यांश मद की राशि का व्यय किया जावे।
किसी भी रिधति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।



(बी.डी. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 22.01.2020

कमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर